

## प्रेस नोट दिनांक 15-10-2019 थाना बेलीपार

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के आदेशानुसार श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय (दक्षिणी) व क्षेत्राधिकारी महोदय बांसगाँव के निर्देशन में उ0नि0 विवेक कुमार शुक्ला मय हमराही कर्म0गण का0 विनय यादव, का0 चन्द्रभूषण गौड़ के वांछित अभियुक्त के तलाश में मामूर था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 332/19 धारा 363 366 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बाघागाड़ा पुल के नीचे खड़ा है कहीं भागने के फिराक में सवारी का इन्तजार कर रहा है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है कि मुखबीर की सूचना पर विश्वास करके मैं उ0नि0 मय हमराहियान के मुखबीर खास को साथ लेकर बताये गये स्थान से लगभग दो सौ मीटर पहले पहुँचकर मुखबीर ने अभियुक्त की ओर इशारा करके बताया कि यह वही व्यक्ति है हट बढ गया, कि मुझ उ0नि0 व हमराहियान द्वारा उस व्यक्ति को तीनों ओर से घेर कर पकड़ने की कोशिश की गयी तो वह व्यक्ति तेज कदमों से भागने लगा जिसपर हम लोगों ने तत्परता दिखाते हुये एकाएक दबिस देकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, तथा नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम विनय चौहान पुत्र स्व0 कैलास चौहान निवासी भीटी थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष बताया, कि अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुये कारण गिरफ्तारी बताते हुये मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुये समय करीब 09.15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया,

### **अभियुक्त का नाम:-**

विनय चौहान पुत्र स्व0 कैलास चौहान निवासी भीटी थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष।

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1- मु0अ0सं0 332/19 धारा 363 366 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट , थाना-बेलीपार गोरखपुर।

### **गिरफ्तार करने का स्थान व दिनांक**

फोरलेन ओवरब्रिज बाघागाड़ा थान-बेलीपार, जनपद गोरखपुर। दिनांक 15.10.2019 समय- 09.15 बजे।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

- 1-** उ0नि0 विवेक कुमार शुक्ला, थाना बेलीपार, गोरखपुर।
- 2-** का0 विनय यादव, थाना बेलीपार, गोरखपुर।
- 3-** का0 चन्द्रभूषण गौड़, थाना बेलीपार, गोरखपुर।